

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
 रामलक्ष्मण
 उनवान सयकर बनाम ... अशोक चौरह ...


नंबर व तारीख
 अहकाम जो
 हुक्म की तारीख
 में जारी हुए

मुकदमा नं० 138/21..... निर्णय दि०..... 25.3.22.....

तनकी सं० 9 → आया परिवर्तनीयता, पश्चिम भूमि पर, वर्तमान
 राजस्व रिकार्ड अनुसार काबिल काश्त है - परिवर्तनीयता
 परिवर्तनीयता साबिक खे.नं. 323 की भूमि पर वर्तमान मूल्या
 काश्त वाकत कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाये हैं। जबकि
 परिवर्तनीयता द्वारा पश्चिम भूमि पर चारदीवारी निर्मित
 कर काबिल काश्त होना सिद्ध कर पाये हैं।
 अतः यह तनकी विरुद्ध परिवर्तनीयता निर्णय की जाती है।

आदेश

ग्राम लीखली के खता सं० 6 (सं० 2013) के ख.नं० 323 की 4.15 बीघा
 भूमि, जिसके वर्तमान नम्बरांकित ख.नं० 474, 475, 478
 समाहित हैं, पर परिवर्तनीयता शुद्ध ही काबिल काश्त रहे हैं, जिससे
 परिवर्तनीयता का कोई लेना देना नहीं है, पर परिवर्तनीयता की खातेदार
 घोषित किया जाता है।
 तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड व नम्बरांकित
 में अमल परामर्श करे।
 परिवर्तनीयता की हवायी निवेदनाएं लू पाकंड किया जाता है
 कि परिवर्तनीयता की ऊपर आदेश में वर्णित भूमि की मूल्या
 काश्त में किसी तरह की वादा उल्लंघन नहीं करे।
 मुवाबिक आदेश डिप्टी व तहसीलदारी होकर पंजावली
 कसल शुमार हो।


 (रंजनीता सिंह)
 25.3.22

उपखण्ड अधिकारी
 सिकराय (दौसा)